निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 वैशाख 1928 (श०)

(सं० पटना 428) पटना, शुक्रवार, 19 मई 2006

राजस्व पर्षद्, बिहार

अधिसूचनाएं

16 मई 2006

सं० 370—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम-II, 1915) की धारा 90 सह-पठित धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद्, बिहार, अधिसूचना, संख्या 152 दिनांक 10 फरवरी 2004 द्वारा निर्गत बिहार देशी शराब बोतलिंग नियमावली 2004 में निम्नलिखित संशोधन तुरंत प्रभाव से करता है ।

संशोधन

1. उपर्युक्त नियमावली के नियम-2 के उप-नियम (xi) के उपरांत निम्नलिखित एक नया उप-नियम (xii) जोड़ा जायेगा:—

"(xii)—बोतल से अभिप्रेत है पारदर्शी शीशे अथवा पेट की बोतल एवं पारदर्शी पोलीथिन सैशे ।''

2. उपर्युक्त नियमावली के परिशिष्ट-II के उपरांत निम्नलिखित एक नया परिशिष्ट-III जोड़ा जायेगा —

परिशिष्ट-III

पोलीथीन सैशे के रूप में राजस्व पर्षद् द्वारा समय -समय पर विनिर्दिष्ट एल०डी० पी० फिल्म जो 100 माइक्रॉन का होगा और जो आई० एस० आई०/आई०ए० 9845181 और आई० एस० 10146182 के विनिर्देश के अनुसार होगा। सैशे पर हरे रंग से शराब की शक्ति, मात्रा, निर्माण की तिमाही एवं वर्ष, संबंधित जिले/प्रक्षेत्र का नाम, निर्माण कर्त्ता का नाम तथा फिल्म के निचले भाग पर बड़े अक्षर में लाल रंग से ''मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, लिखना होगा।'' जैसा और जब आवश्यक हो, उत्पाद आयुक्त, सैशे की नकल रोकने के लिए छपाई के रंग में परिवर्त्तन के लिए समय-समय पर आदेश दे सकेंगे ।

(3टेक—1001/2004)

राजस्व पर्षद्, बिहार-के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट, सचिव।